न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
50/2021/प्रा.पत्र/2021	07.06.2021	06.08.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–दूध विक्रेता श्री असलम खॉन पुत्र श्री अब्दुल हाफिज खॉन एफ.बी.ओ. मैसर्स मोहम्मद असलम खॉन पॉच बत्ती वार्ड नम्बर 10 हमीम बरकात अहमद रोड टोंक जिला टोंक निवासी पॉच बत्ती वार्ड नम्बर 10, हमीम बरकात अहमद रोड टोक जिला टोंक

2– मैसर्स मोहम्मद असलम खॉन पॉच बत्ती वार्ड नम्बर 10 हमीम बरकात अहमद रोड टोंक जिला टोंक

3–श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री श्याम नारायण पाण्डे नॉमिनी मैसर्स टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड एफ–126–128 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर बाईपास रोड टोंक जिला टोंक

4– मैसर्स टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड एफ–126–128 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर बाईपास रोड टोंक जिला टोंक

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 06.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.10.2020 को समय 6.00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मोहम्मद असलम खॉन पॉच बत्ती वार्ड नम्बर 10 हमीम बरकात अहमद रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री असलम खॉन पुत्र श्री अब्दुल हाफिज खॉन एफ.बी.ओ. मैसर्स मोहम्मद असलम खॉन पॉच बत्ती वार्ड नम्बर 10 हमीम बरकात अहमद रोड टोंक जिला टोंक निवासी पॉच

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

1202

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

बत्ती वार्ड नम्बर 10, हमीम बरकात अहमद रोड टोक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को आपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री असलम खॉन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता असलम खान एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 500–500 एम.एल पैक के लगभग 400 पॉली पैक **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड** रखे हुये मे से 2 लीटर वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री असलम खान को रू0 88/–अक्षरे अठ्यासी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड** 2 लीटर को हिला–मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ एंव सूखी प्लास्टिक की शिशियो मे बरावरा–बराबर भरकर चार भाग तैयार कर (प्रत्येक भाग 500 एम.एल) प्रत्येक भाग मे 40 प्रतिशत फार्मोलिन की 40–40 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाइट बंद कर चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2632 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2632 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. असलम खॉन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री असलम खॉन ने मौके पर **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड** बतोर वारंटी मैसर्स टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड एफ–126–128 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर बाईपास रोड टोंक जिला टोंक का बिल/इन्वॉइस नं. एमकेटी/20–21/001927 दिनांक 26.10.2020 की छायाप्रति प्रति पेश की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3935 दिनांक 05.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1458/एक्ट/2020/1512 दिनांक 30.10.2020 के अनुसार असलम खॉन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना मत्र मे अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड** का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पाश्च्यूराईज्ड टोण्ड मिल्क सरस ब्राण्ड** का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री असलम खॉन पुत्र श्री अब्दुल हाफिज खॉन एफ.बी.ओ. मैसर्स मोहम्मद असलम खॉन पॉच बत्ती वार्ड नम्बर 10 हमीम बरकात अहमद रोड टोंक जिला टोंक निवासी पॉच बत्ती वार्ड नम्बर 10, हमीम बरकात अहमद रोड टोक जिला टोंक पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी मैसर्स टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संध लिमिटेड एफ– [illegible] रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर बाईपास रोड टोंक जिला टोंक पर शास्ति 5,000 (अक्षरे [illegible] हजार रू0)आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि ज[illegible] न्यायाल[illegible] अथवा जरिये चालान से राजकोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:06 IST
Reason: SelfAttested

1204

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

6-8-21

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:06 IST
Reason: SelfAttested

1205

Scanned by CamScanner